तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सरदारगर बनाम लिक्ष्मणराम अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए मुकदमा नम्बर –158/2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/8/24	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील एवं राज पैरोकार उपस्थित । अप्रार्थी संख्या 1 अधिवक्ता द्वारा पूर्व में जवाब नहीं करने के कारण जवाब बन्द किया जा चुका है। बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी के नाम से मौजा रोही शेरपुरा तहसील लूनकरनसर के ख010 241 तादादी 17.11 बीघा, खसरा नम्बर 748 तादादी 14.06 बीघा, खसरा नम्बर 1196 / 731 तादादी 20 बीघा, खसरा नम्बर 1428 / 240 तादादी 5.10 बीघा, खसरा नम्बर 1429/731 तादादी 10.08 बीघा कुल तादादी 67.15 बीघा बारानी खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थी द्वारा किया जा रहा है । प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 748 तादादी 14.06 बीघा में आने जाने के लिए कोई स्वीकृत रास्ता नही है अप्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0 10 749/3 के पूर्व दिशा में 0–10 748 स्थित है ख0–10 749 / 3 की पश्चिम दिशा में चिपता हुआ स्वीकृत रास्ता चल रहा है। उक्त अप्रार्थी रा. 01 के खरारा नम्बर 749 / 3 के उत्तर दिशा से अपने खेत में प्रवेश करता हैं। इसी रास्ते से प्रार्थी आवागमन करता चला आ रहा है। इसके अलावा अन्य नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता नही है । प्रार्थी ख0न0 749 / 03 की उत्तर दिशा मे से रास्ते का कई वर्षो से उपयोग एंव उपभोग करता चला आ रहा है। जो रास्ता प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0न0 748 में प्रवेश करता है। लेकिन उक्त रास्ता रिकार्ड में स्वीकृत नहीं होने के कारण अप्रार्थी प्रार्थी एवं इस रास्ते से जाने वाले अन्य काश्तकारों के मध्य मन मुटाव होने पर अप्रार्थी उक्त रास्ते को वन्द करने की धमकी देता रहता है जबकि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने पशुधन व ट्रैक्टर आदि लाने ले जाने के लिए रास्ता लेने का सवैधानिक अधिकार है । अप्रार्थी ने दिनांक 30.07.2021 को उक्त चालू रास्ता वंद कर देने की धमकी देने लगा व अप्रार्थी प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के रास्ते में अवरोध पैदा करने पर उतारू रहता है जिसके कारण प्रार्थी को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी की उपरोक्त भूमि मे से रास्ता लेने की हकदार है जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है ।प्रार्थी के पास उपरोक्त अप्रार्थी सं. 01 की खातेदारी भूमि ख0न0 749 / 3 की उत्तर दिशा मे चल रहे रास्ते के अलावा अन्य कोई सुविधा जनक एवं वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है प्रार्थी अप्रार्थी सं. 01 की उपरोक्त खातेदारी भूमि ख0न0 749 / 3 की उत्तर दिशा में लगभग 7 बीघा लम्बाई में नियमानुसार रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है प्रार्थी रास्ते की भूमि के बदले मे अप्रार्थी सं. 01 को नियमानुसार प्रतिकर राशि देने को तैयार है । अप्रार्थी सं. 01 की उपरोक्त भूमि ख0न0 749 / 3 की उत्तर दिशा गें लगभग 7 बीघा लम्बाई जितनी प्रार्थी के खेत तक बनती है उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व दिशा मे गैरगुमकिन रास्ता प्रार्थी स्वीकृत करवाने की हकदार है। अतः उक्तानुसार प्रार्थी वकील द्वारा रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया गया। मुतावित तहसीलदार रिपोर्ट प्रार्थी के खसरा नम्बर 748 में पहुच हेतु मार्ग उपलब्ध नहीं है। खसरा न 749/3 से पहुंच हेतु प्रस्तावित रास्ते की कुल लम्वाई 382 मीटर बताई गई हैं। हमने वहस का मनन किया प्रस्तुत रिकॉर्ड जमाबन्दी मौजा रोही शेरपुरा तहसील लूनकरनसर के ख010 241 तादादी 17.11 बीघा, खसरा नम्बर 748 तादादी 14.06 बीघा, खसरा नम्बर 1196 / 731 तादादी 20 बीघा, खसरा नम्बर 1428 / 240 तादादी 5.10 बीघा, खसरा नम्बर 1429/731 तादादी 10.08 बीघा कुल तादादी 67.15 बीघा बारानी खातेदारी एवं आंशिक नजरी नक्शा एवं पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया अतः स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपने खसरा न0 748 में पहुंच हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपनी कृषि भूमि पर पहुंच हेतु 749/03 में से रास्ता चाहा गया है। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट वाछित रास्ता आवश्यक प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर को फैसले की प्रमाणित प्रति भेज निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा अपने खसरा न0 748 में पहुंच हेतु खसरा न0 749/03 में से रास्ता बाबत प्राप्त रिपोर्ट अनुसार भूमि गणना कर वर्तमान डीएलसी दर के दुगना भुगतान सम्बन्धित पक्षकार को होने पर रिकॉर्ड में अंकन कर मौके पर रास्ता की निशानदेही करावें। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्तर हो । यह आदेश आज दिनांक 8.8.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (राजेन्द्र कुमार) उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर	

उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर (मुहर)